न्यायालय भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, सीकर।

अपील संख्या-145/2012

1-फूलसिंह पुत्र बींज सिंह
2-हनुमानसिंह पुत्र बींज सिंह
3-जगदीशसिंह पुत्र जोरावरसिंह
4-शंकरसिंह पुत्र जोरावरसिंह
5-लक्ष्मणसिंह पुत्र जोरावरसिंह
6-सुरेन्द्रसिंह पुत्र जोरावरसिंह
7-मनभर कंवर बेवा जोरावरसिंह

समस्त जाति बडवा निवासी जुराठड़ा तहसील व जिला सीकर ।

--अपीलान्टस---

सत्यमेव जयते

---बनाम---

1-कर्णसिंह पुत्र धन्नेसिंह
2- भंवरसिंह पुत्र किशनसिंह
3-क- मु0 राधाकंवर बेवा छत्तूसिंह
3-ख- प्रहलादसिंह पुत्र छत्तूसिंह
3-ग- बजरंगसिंह पुत्र छत्तूसिंह
3-घ-भवानीसिंह पुत्र छत्तूसिंह
4-क- मु0 रूकमा कंवर बेवा बच्चनसिंह
ख- राजकंवर पुत्री बच्चनसिंह
ग- तेजसिंह पुत्र बच्चनसिंह
घ-विनोदकंवर पुत्री बच्चनसिंह
ड-दिलीपसिंह पुत्र बच्चनसिंह
च-शेरसिंह पुत्र बच्चनसिंह
छ-कौशल्याकंवर पुत्री बच्चनसिंह
ज-सम्पत्तिसिंह पुत्र बच्चनसिंह
झ-मिठुकंवर पुत्री बच्चनसिंह आयु 16 वर्ष नाबालिग जरिये माता रूकमा कंवर ।

जाति बडवा निवासी जुराठड़ा तहसील व जिला सीकर ।

Web Copy - Not Official

ण- सुभाषसिंह पुत्र बच्चनसिंह

5-क मगेजसिंह पत्नी आईदानसिंह(नाम हजफ)

ख-अमरसिंह सिंह पुत्र आईदानसिंह

ग-गीताकंवर पुत्री आईदानसिंह

घ-रघुवीरसिंह पुत्र आईदानसिंह

ड-मानसिंह पुत्र आईदानसिंह

च-पप्पूसिंह पुत्र आईदानसिंह

छ-प्रेमसिंह पुत्र आईदानसिंह

ज-सुनीताकंवर

झ-मनोहरकंवर

ण-सुन्दरकंवर पुत्र आईदानसिंह

ट- चम्पाकंवर

ठ-गुमानकंवर

पुत्रीयां आईदानसिंह नाबालिग जरिये माता मंगेजकंवर

6- हिम्मतसिंह

7- दशरथसिंह लाऔलाद फौत

8-इन्द्रसिंह पुत्र रतनसिंह

9-अमरसिंह पुत्र जोरावरसिंह

10-फतेहसिंह पुत्र जोरावरसिंह

11-राज्य सरकार जरिये तहसीलदार सीकर ।

12- उप पंजीयक सीकर ।

--रेस्पोडेन्टस्---

अपील विरूद्ध निर्णय व डिक्री
दिनांक 13-7-2011 द्वारा
उप खण्ड अधिकारी, सीकर।

---0---

उपस्थिति-

1-श्री महावीरप्रसाद खीचड एडवोकेट- अपीलान्ट

2-श्री पोखरमल एडवोकेट- रेस्पोडेन्ट

निर्णय दिनांक- 23.7.2018

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि वादीगण/रेस्पोडेन्ट संख्या-1 से 8 ने दावा बाबत इस्तकरार हक, हुक्म इम्तनाई दवामी, एवं दुरूस्ती राजस्व रेकार्ड का पेश कर निवेदन किया कि आराजी पुराने ख0नं0 660 रकबा 22 बीघा 11 बिस्वा जिसके नये ख0नं0 1174 रकबा 0.87 हैक्टर, ख0नं0 1175 रकबा 0.56 हैक्टर, ख0नं0 1176 रकबा 0.59 हैक्टर, ख0नं0 1177 रकबा 0.62 हैक्टर, ख0नं0 1178 रकबा 0.69 हैक्टर, ख0नं0 1179 रकबा 0.65 हैक्टर, ख0नं0 1180 रकबा 0.60 हैक्टर, ख0नं0 1181 रकबा 1.09 हैक्टर, ख0नं0 1188 रकबा 0.06 हैक्टर कुल किता-9 रकबा 5.84 हैक्टर तथा पुराने ख0नं0 659 रकबा 18 बीघा 5बिस्वा के हाल ख0नं0 1173 रकबा 1.46 हैक्टर, ख0नं0 1182 रकबा 0.45 हैक्टर, ख0नं0 1183 रकबा 2.86 हैक्टर कुल किता-3 रकबा 4.77 हैक्टर ग्राम जुराठड़ा पक्षकारा-न की पैतृक भूमिया हैं ।पक्षकारान का पूर्वज बदनसिंह था जिसके दो पुत्र बिडदसिंह व रामबक्ससिंह के चार पुत्र हुये जिसमें बडा पुत्र श्योनाथसिंह बिडदसिंह के कोई पुत्र नहीं होने पर गोद चला 0 गया ।श्योनाथसिंह के रतनसिंह हुआ और रतनसिंह के वादीगण हुये जिनका इस आराजी में 1/2 हिस्सा हुआ तथा 1/2 हिस्से के रामबक्ससिंह के वारिस हुये जिससे उक्त आराजी में वादीगण को 1/7 हिस्सा कर्णसिंह, 1/7 हिस्सा भंवरसिंह, 1/7 हिस्सा छतुसिंह, 1/7 हिस्सा बचनसिंह, 1/7 हिस्सा आईदानसिंह, 1/7 हिस्सा हिम्मतसिंह व दशरथसिंह तथा शेष 1/7 हिस्सा इन्द्रसिंह के नाम दर्ज किया जावे । अदालत मातहत में बाद सुनवाई वादीगण का दावा स्वीकार कर लिया जिससे क्षुब्ध होकर अपीलान्ट ने यह अपील निम्न आधारो पर प्रस्तुत की है ।

योग्य अदालत मातहत का निर्णय खिलाफ कानून एवं पत्रावली है । विवादित आराजी ख0नं0 1173, 1182, 1184 कुल किता-3 रकबा 4.77 हैक्टर जिसके पुराने ख0नं0 659 रकबा 18 बीघा 5 बिस्वा थे तथा ख0नं0 1174, 1175, से 1181, 1188 कुल किता-9 रकबा 5.84 हैक्टर जिसके पुराने ख0नं0 660 रकबा 22 बीघा 6 बिस्वा थे । जो अपीलान्ट एवं प्रतिवादी सं0-4 की पैतृक भूमियां रही है ।यह आराजी रेस्पोडेन्ट/वादीगण की पैतृक भूमियां कतई नही है।इन भूमियों की खातेदारी अपीलान्ट प्रतिवादीगण के पूर्वजों की तथा वर्तमान में अपीलान्ट की रही है ।विवादित आराजी वादीगण/रेस्पोडेन्ट की पैतृक भूमियां किसी भी दस्तावेज से साबित नहीं है ।कर्णसिंह व अन्य सभी गवाहों ने उक्त विवादित आराजी पर 1/2 हक हिस्से का कब्जा काश्त बताकर आये है किन्तु अदालत मातहत ने 1/2 हिस्से से अधिक भूमि दिये जाने में कानूनी भूल की है । वादीगण/रेस्पोडेन्ट ने खसरा खानदान गलत पेश किया है। अदालत मातहत ने मात्र गिरदावरियों को आधार मानकर निर्णय पारित किया है जबकि खसरा गिरदावरियां रेकार्ड आफ राईटस् नहीं है ।राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 लागू हुआ तब दफा 19 के तहत खातेदारी अधिकार देने का प्रावधान था दो वर्ष तक की अवधि में रेस्पोडेन्ट/वादीगण खातेदारी प्राप्त नहीं कर सके । इतनी लम्बी अवधि के बाद खातेदारी अधिकार दावा दायर कर प्राप्त करने के अधिकारी नहीं बनते है। रेस्पोडेन्ट ने कोई लगान की रसीद भी पेश नहीं की है इसके बाद भी अदालत मातहत ने इन सभी तथ्यों पर बिना गौर किये अपना निर्णय दिया है।अदालत मातहत में अपीलान्ट को सुनवाई का कोई अवसर नहीं दिया गया ।पत्रावली पर अदालत मातहत ने अपनी मनमर्जी से तारीख पेशी दर्ज कर निर्णय पारित किया है । दिनांक 28-5-2012 को अपीलान्ट पटवारी व हल्का के पास सम्पर्क किया तब हल्का पटवारी ने निर्णय व डिक्री की जानकारी दी। इस पर अपीलान्ट ने दिनांक 29-5-2012 को निर्णय व डिक्री की नकल लेने का आवेदन लगाया । तब अदालत मातहत के निर्णय एवं डिक्री की जानकारी हुई । जिससे यह अपील जानकारी से अन्दर मियाद के अन्दर है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार कर अदालत मातहत का निर्णय एवं डिक्री निरस्त की जावे ।

अपील दर्ज रजिस्टर की गई । रेस्पोडेन्ट को जरिये नोटिस तलब किया गया । अदालत मातहत की पत्रावली मंगाई जाकर शामिल पत्रावली की गई । बहस विद्वान अभिभाषकगण सुनी गई ।

विद्वान वकील अपीलान्ट ने लिखित बहस पेश करते हुये कथन किया कि वादी सं0-7 दशरथसिंह पुत्र उम्मेदसिंह नाबालिग था जिसको पक्षकार बनाकर दावा पेश किया जिसके प्राकृतिक संरक्षक(माता-पिता) का देहान्त हो जाने के कारण वाद मित्र के साथ दावा पेश करना चाहिये था किन्तु कोई वाद मित्र नहीं है । अदालत मातहत ने इस बिन्दू पर कोई गोर न कर अपना निर्णय दिया है ।दावा के प्रतिवादी सं0-5(घ) रघुवीरसिंह दावा के निर्णय के समय लापता है । रघुवीर सिंह के पिता आईदानसिंह की मृत्यु होने पर कायम मुकाम बनाने का आवेदन दि0 10-12-2001 में रघुवीरसिंह को लापता बताया गया है।जब वाद में किसी पक्षकार के लापता हो जाता है तो स्पेसिक रिलीफ एक्ट व साक्ष्य अधिनियम की धारा 108 के विधिक प्रक्रिया का पालन करना आवश्यक है। किन्तु यह कार्यवाही नहीं की गई ।उक्त कानून की प्रक्रिया की पालना किये बिना आदेश पारित किया है । प्रतिवादीगण ने अदालत मातहत में एक दावा बउनवानी अमरसिंह बनाम कर्णसिंह था। जिसका मुकदमा 115/2002 था जिसको इस दावे को दावा सं0- 195/1996 कर्णसिंह बनाम अंजनकंवर के साथ समेकित करने का आदेश पारित किया किन्तु उस दावे को शामिल नहीं कर आदेश पारित किया गया है ।अदालत मातहत में प्रतिवादीगण की ओर से धारा-11 सीपीसी का प्रार्थना पत्र पेश जिसका जबाब वादीगण की ओर से दिया गया।इस प्रार्थना पत्र पर कोई बहस नहीं हुई । इस प्रार्थना पत्र का निर्णय किये बिना ही दिनांक 13-7-2015 को दावा डिक्री कर दिया।अदालत मातहत ने अपने निर्णय में लिखा है इस आराजी के बाबत पूर्व में दावा पेश किया जो अदम हाजरी में खारिज हो चुका। यह आपत्ति खारिज की जा चुकी । अदालत मातहत ने पत्रावली का अवलोकन किये बिना अपना आदेश पारित किया है । प्रकरण में किसी प्रकार का प्रार्थना पत्र विचाराधीन रहता है. तो न्याय निर्णय नहीं होता है ।प्रकरण में धारा-11 सीपीसी का प्रार्थना पत्र शेष है । अदालत मातहत ने इस ओर कोई गौर न कर अपना निर्णय दिया है ।

विवादित आराजी पहले बदनसिंह के नाम की होना बताया है । जबकि बदनसिंह के नाम से विवादित आराजी हो ऐसा कोई दस्तावेज पत्रावली पर नहीं है । सजरा खानदान दावे में गलत पेश किया गया है तथा ना ही दोनों पुत्रो भी बिडदसिंह व रामबक्ससिंह के नाम विवादित भूमियां होने का/कोई सबूत पेश नहीं किया ।पूर्व में पेश दावा धन्नेसिंह बनाम जोरावरसिंह मुकदमा सं0-74/87 कर्णसिंह के पिता ने दावा पेश किया था । उस सजरा खानदान में रामबक्ससिंह के चार पुत्र श्योनाथसिंह, हरनाथसिंह, भूरसिंह व चन्द्रसिंह होना बताया जिसे कर्णसिंह ने मुख्य परीक्षण में स्वीकार किया गया है ।दावे में पेश सजरा खान दान में मोतीसिंह को नाऔलाद फौत होना बताया है। जबकि मुकदमा नं0 74/1987 की पत्रावली में मोतीसिंह का वारिस जोरसिंह को बताया गया है कर्णसिंह ने अपने बयानों में जिरह में कथन किया है कि जोरावरसिंह मोती के गोद चला गया जो हरनाथसिंह का बेटा था । वादीगण ने सजरा खानदान के अनुसार 1/2 हिस्सा की मांग की है जो गलत की है।श्योनाथसिंह बिडदीसिंह के गोद जाने की कोई साक्ष्य पत्रावली पर मौजूद नहीं है। जिससे वादीगण का 1/2 हिस्से का हकदार नहीं है।चन्द्रसिंह अविवाहित फौत होने पर रामबक्स के तीन पुत्र श्योनाथसिंह, हरनाथसिंह, भूरसिंह होने से प्रत्येक का 1/3, 1/3 हिस्सा है। जो सैटलमेन्ट के पूर्व से ही चली आ रही है ।सम्वत 2011 से 2021 तक खसरा गिरदावरिया बताकर ख0नं0 660 पर हकदार मानकर निर्णय करने में अदालत मातहत ने कानूनी भूल की है ।उप कृषक की कोई जमाबन्दी नहीं है । तथा ना ही वादीगण द्वारा लगान जमा कराने की कोई रसीद पेश की गई ।सम्वत 2021 के बाद की कोई खसरा गिरदावरी वादी ने पेश नही की है ।उक्त आराजी पर वादीगण का कब्जा होता तो वे दिनांक 30-31 जनवरी 1982 में अपना हक जता सकते थे ।किन्तु वादीगण ऐसा नहीं किया इससे वादीगण का ख0नं0 660 पर अब खातेदारी के हक नहीं बनते हैं ।दावा सं0-74/1987 में ख0नं0 660/1 पुराना का रकबा 3 बीघा 16 बिस्वा(वर्तमान ख0नं0 1174 रकबा 0.87 हैक्टर) पर प्रतिवादी/अपीलान्ट के कब्जे में होने का कथन किया है। जिसमें अपीलान्ट को बेदखल करने का निवेदन किया गया था ।यह दावा दिनांक 10-7-1990 को

खारिज कर दिया गया ।अदालत मातहत ने ख0नं0 ।।74 की खातेदारी वादीगण को कैसे दी स्पष्ट नहीं किया ।वादी को वाद कारण कब उत्पन्न हुआ स्पष्ट नही अदालत मातहत ने इस बिन्दू पर भी कोई गौर न कर आदेश पारित किया है । ख0नं0 ।।74 पर कर्णसिंह के पिता धन्नेसिंह ने अपीलान्ट का कब्जा दावा सं0-74/1987 में स्वीकार किया है। जिससे रेस्पोंडेन्ट पाबन्द है ।इसके बाद भी वादी ने ।/2 हिस्से की खातेदारी की मांग की है जिसे अदालत मातहत ने बिना पत्रावली पर मौजूद दस्तावेज का अवलोकन किये बिना आदेश पारित किया है ।अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार कर अदालत मातहत का निर्णय निरस्त किया जावे ।

विद्वान वकील रेस्पोंडेन्ट ने विद्वान वकील अपीलान्ट की लिखित बहस का जबाब लिखित में पेश करते हुये बहस में कथन किया कि अदालत मातहत ने अपना निर्णय समस्त तथ्यों पर गोर करने के बाद पारित किया है जिसमें किसी प्रकार की कोई कानूनी भूल नही है ।अपीलान्ट ने दशरथसिंह की उम्र का उज्र उठाया है वह अपील स्तर पर नहीं उठाया जा सकता ।अपीलान्ट अपील मीमों के अतिरिक्त अपील स्तर पर कोई कथन नहीं कर सकता ।रघुवीरसिंह के लापता होने का कथन किया है वह अपील मीमों में दर्ज नहीं है ।रघुनाथ के लापता होने से अपीलांट के अधिकारों पर कोई विपरित प्रभाव नहीं पडता है ।धारा-।। सीपीसी के बाबत भी अपीलान्ट ने अपील मेमों में कोई उल्लेख नहीं किया इस कारण अपीलान्ट का अब इस बिन्दू को अलग से कहने की कोई आवश्यकता नहीं है ।अदालत मातहत ने सभी दस्तावेजों का अवलोकन कर विधिक प्रक्रिया अपनाते हुये अपना निर्णय पारित किया है ।दावे में विवादित आराजी पैतृक होने के बाबत समस्त खसरा गिरदावरिया पेश की है ।लगान की रसीदे पेश की है ।अपीलान्ट ने हम से जिरह की है जिसमें इन्होने हमसें कुछ भी निकलवाने में असमर्थ रहे हैं । सजरा खानदान सही है ।रेस्पोंडेन्ट ने अपने दावे को सभी तरह से साबित किया है । अपीलान्ट ने सजरा खानदान को गलत बताया है और एक तरफ वादीगण का 1/3 हिस्सा स्वीकार किया है। वाद कारण उत्पन्न होने का दावे में स्पष्ट कारण दर्ज किया । अपीलान्ट ने लिखित बहस बिना आधारो के अपील के मीमों

के बाहर पेश की है ।अपीलान्ट ने बहस में निवेदन किया कि वादी/रेस्पोन्डेन्ट ने समय पर खातेदारी दर्ज नहीं करवाई। इन्होने अपने अधिकार खो दिये । अपीलान्ट यह तक माननीय न्यायालय में पेश नहीं कर सकते। अपीलान्ट को अदालत मातहत में इस बाबत आदेश-7 नियम 11 सीपीसी का प्रार्थना पत्र पेश करना चाहिये था आराजी ख0नं0 660 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के प्रभाव में आने के पूर्व से ही वादीगण के कब्जा काश्त में रही है ।ख0नं0659 की आराजी उपजाऊ एवं कीमत में अच्छी होने से अपीलान्ट को कुछ जमीन कम दी है तथा वादी को कम उपजाऊ एवं कम कीमत की होने से थोडी ज्याद जमीन दी है ।विवादित आराजी पर हमारा कब्जा काश्त रहा जिसकी खसरा गिरदावरी मैने पेश की है । लगान की रसीद पेश की है । अदालत मातहत ने सभी दस्तावेजों का अवलोकन कर अपना निर्णय दिया है ।अपीलान्ट ने यह अपील मियाद बाहर पेश की। निर्णय की जानकारी पटवारी हल्का के पास जाने से हुई किन्तु यह दर्ज नहीं किया कि पटवारी हल्का के पास गया तो कौनसा अपीलान्ट गया और वह किस काम के लिये गया । अपीलान्ट ने प्रार्थना पत्र में सन्तोषप्रद कारण दर्ज नहीं किया। अपीलान्ट की अपील को मियाद बाहर होने से भी खारिज किया जावे ।

बहस बगौर समाहत की गई । पत्रावली का अवलोकन किया गया । प्रदर्श-1 मिलान क्षेत्रफल का अवलोकन किया गया ।प्रदर्श-2 जमाबन्दी सं0-2049 से 2052 में ख0नं0 1182,1183 कुल किता-2 रकबा 3-31 हैक्टर की खातेदारी मु0 अंजन#0कंवर बेवा बींजा,फूला जोरावर हनुमान कौम बडवा के नाम दर्ज है ।खसरा नं0 1173,1174 कुल किता-2 रकबा 2-33 हैक्टर की खातेदारी जोरावरसिंह पि0 मु0 मोती के नाम दर्ज है ।ख0नं0 1175 से 1181, 1188 कुल किता-8 रकबा 4.97 हैक्टर की खातेदारी फूला हनुमान जोरावरसिंह बींजा हि0 1/2 ब0हि0 1/2 मोती पुत्र हरबक्स बडवा 1/2 दर्ज हैखसरा गिरदावरी सं0-2011 से 2014 2015 से 2017, 2018 से 2021 में खसरा नम्बर 659 बढदार मोती वल्द हरनाथ बिंजा पुत्र भूरा कौमा ब्राहम्ण दर्ज है ।उप काश्तकार के कालम में मोती वल्द हरनाथ व बींजा वल्द भूरा कौम बडवा दर्ज है। तथा ख0नं0 660 पर बाढदार

रतना वल्द श्योनाथ कौम ब्राहम्ण तथा उपकाश्तकार के कालम में रतना वल्द श्योनाथ बडवा दर्ज है जो सम्वत 2021 तक लगातार दर्ज है ।सम्वत 2031, 2032 में धनेसिंह किसनसिंह छतुसिंह बचनसिंह, आईदानसिंह इन्द्रसिंह, रतनसिंह की काश्त दर्ज है । इस प्रकार राजस्व रेकार्ड के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि पुराने खसरा नम्बरों पर सम्वत 2011 से लगातार 2021 तक वादीगण के पूर्वज रतना वल्द श्योनाथ का कब्जा काश्त रहा है । सम्वत 2031 व 2032 में कब्जा काश्त वादीगण/रेस्पोंडेन्ट संख्या-1 से 8 के नाम दर्ज है । राजस्व रेकार्ड के आधार पर रेस्पोंडेन्ट का विवादित आराजी पर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के प्रभाव में आने के समय काश्त दर्ज है ।जिसकी खातेदारी प्राप्त करने के वादीगण कानून अधिकारी है । अदालत मातहत ने अपना निर्णय उचित एवं विधिक दिया है ।अपीलान्ट ने प्रार्थना पत्र के साथ दावा सं0-74/1987 पेश की जो दावा दिनांक 10-7-1990 को अदम हाजरी में खारिज हो गया ।इस दावे से वादी/ रेस्पोंडेन्ट पाबन्द है ।यह अपीलान्ट का मुख्य तक रहा ।किन्तु इसके विरोध में रेस्पोंडेन्ट के विद्वान वकील ने तर्क दिया कि उसमें विवादित आराजी भिन्न थी ।अपीलान्ट ने यह अपील मियाद के बाहर पेश की है जिसमें अपीलान्ट ने प्रार्थना पत्र कथन किया कि अदालत मातहत ने बिना सुने आदेश पारित किया है जिसकी अपीलान्ट को कोई जानकारी नहीं रही । पटवारी हल्का से जानकारी होने पर नकल लेकर यह अपील मियाद के अन्दर पेश की है ।इसके विरोध में विद्वान वकील रेस्पोंडेन्ट ने कथनों में दौहराया था कि अपीलान्ट को निर्णय की शुरू से ही जानकारी रही है ।अपील पूर्णतया मियाद बाहर है । अपील को मियाद के बाहर ही खारिज किया जावे । बहस के समर्थ में आरआरडी 1992 पेज-235, आरआरडी 2016 पेज 519, आरआरडी 1977 पेज 81, आरआरडी 1988 पेज-133 आरआरडी 1993 पेज 90 एवं आरबीजे 2007 पेज-111 पेश कर अपील को मियाद के बाह र होने से खारिज करने का निवेदन किया ।प्रस्तुत नजीरों का अवलोकन किया गया ।अपीलान्ट की अपील को न्यायहित में अन्दर मियाद शुमार कर प्रकरण का मैरिट पर निर्णय किया जाना उचित मानकर

उपरोक्तानुसार गुणावगुण पर निर्णय किया जाकर अपीलान्ट की अपील को खारिज किया जाना उचित मानते हैं ।

अतः उपरोक्त विवेचन के परिप्रेक्ष्य में अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है तथा विद्वान उप खण्ड अधिकारी सीकर का निर्णय एवं डिक्री दिनांक 13-7-2011 को यथावत रखा जाता है ।

निर्णय सरे इजलास आज दिनांक 23.7.2018 को सुनाया गया ।

23/7/18

(भंवरलाल मेहरड़ा)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
सीकर